

29/11/20

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.।
वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश
कर जाहिर किया कि दोनों पक्षों
के मध्य लोक अदालत की भावना
से राजीनामा हो गया है। प्रकरण
को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।
वकील अप्रार्थी को इस पर आपत्ति
नहीं है।

अतः प्रकरण को जरिह विनोल
स्वारिज किया जाता है। पत्रावली
फैरपल शुमार होकर नम्बर से
कम को जाकर दाखिल दफ्तर है।

बहायक कलमदर, घाबक